

इसे वेबसाईट www.govtpressmp.nic.in से भी डाउन लोड किया जा सकता है.



मध्यप्रदेश राजपत्र

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 9]

भोपाल, शुक्रवार, दिनांक 4 मार्च 2022—फाल्गुन 13, शक 1943

भाग ४

विषय-सूची

- | | | |
|----------------------------|-------------------------------|----------------------------------|
| (क) (1) मध्यप्रदेश विधेयक, | (2) प्रवर समिति के प्रतिवेदन, | (3) संसद में पुरःस्थापित विधेयक. |
| (ख) (1) अध्यादेश, | (2) मध्यप्रदेश अधिनियम, | (3) संसद के अधिनियम. |
| (ग) (1) प्रारूप नियम, | (2) अन्तिम नियम. | |

भाग ४ (क)—कुछ नहीं

भाग ४ (ख)—कुछ नहीं

भाग ४ (ग)

अंतिम नियम

श्रम विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 25 फरवरी 2022

क्र. 311-3713-2021-ए-सोलह.—भवन और अन्य संनिर्माण कर्मकार कल्याण उपकर नियम, 1998 के नियम 2 के खण्ड (छः) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्वारा, इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-14-5-2011-ए-सोलह, दिनांक 25 नवम्बर, 2011, जो मध्यप्रदेश राजपत्र (असाधारण), दिनांक 25 नवम्बर, 2011 में प्रकाशित हुई थी, में निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात्:—

संशोधन

उक्त अधिसूचना में, अनुक्रमांक 3 में,—

- (1) कॉलम (3) में शब्द और अंक "रुपये 50 करोड़ से अधिक किन्तु रुपये 250 करोड़ से अनधिक" के स्थान पर, शब्द और अंक "50 करोड़ से अधिक" स्थापित किए जाएं.
- (2) कॉलम (5) में, शब्द "अपर श्रम आयुक्त" के स्थान पर, शब्द "श्रम आयुक्त" स्थापित किए जाएं.

No. 311-3713-2021-A-XVI.—In exercise of the powers conferred by clause (g) of Rule 2 of the Building and Other Construction Workers Cess Rules, 1998, the State Government, hereby, makes the following amendments in this department's Notification No. F-14-5-2011-A-XVI, dated 25th November, 2011, which was published in the Madhya Pradesh Gazette (Extra-Ordinary), dated 25th November, 2011, namely:—

AMENDMENTS

In the said notification, in serial number 3,—

1. In column (3), for the words and figure "more than Rs. 50 crores but not more than Rs. 250 crores", the words and figures "more than 50 crores" shall be substituted.
2. In column (5), for the words "additional labour commissioner", the words "labour-commissioner" shall be substituted.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
जगदीश चंद्र जटिया, उपसचिव.